[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 4/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017
9 आषाढ़, शक 1939

सा.का.नि...........(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 146 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण, कर के संदाय, विवरणियों को प्रस्तुत करने, एकीकृत कर की संगणना और परिनिर्धारण और इलैक्ट्रानिक वे बिल को सुकर बनाने के लिए www.gst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रानिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करती है ।

स्पष्टीकरण–इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "www.gst.gov.in" से माल और सेवा कर नेटवर्क, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित एक कंपनी द्वारा चलाई जाने वाली वेबसाइट अभिप्रेत है ।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

(फा.सं. एस-31011/25/2017-एसटी-आई-डीओआर)

(एस.आर. मीना)
अवर सचिव, भारत सरकार